संख्या-30/2021/2001896/2021/श्रम-2

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,

उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,

लखनऊ।

श्रम अनुभाग-02 **लखनऊ, दिनांक : 24 दिसम्बर, 2021**

विषयक : पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित 'आपदा राहत सहायता योजना' में संशोधन पर अनापत्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6819-20/भ0नि0बो0-(1803)-2021, दिनांक 22-12-2021 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से बोर्ड द्वारा 'आपदा राहत सहायता योजना' के प्रस्तर-4 "देय हितलाभ" की वर्तमान व्यवस्था में संशोधन का प्रस्ताव प्रशासक, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त उपलब्ध कराते हुए प्रश्नगत योजना में संशोधन पर अनापत्ति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- सचिव, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये निम्नवत विवरणानुसार संशोधन प्रस्ताव पर इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रदान की जाती है कि योजना के संचालन में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं संगत नियमावली, 2009 का अनुपालन पात्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के हित में पूर्णतः सुनिश्चित किया जायेगा और इस हेतु वर्तमान तथा भविष्य में शासन स्तर से कोई वित्तीय/आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जायेगी तथा बोर्ड प्रश्नगत योजना में पात्र श्रमिकों को **हितलाभ भुगतान डी0बी0टी0** के माध्यम से ही करेगा :-

क्र0सं0	वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित व्यवस्था
1	2	3
04-देय हितलाभ	योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भरण पोषण हेतु एकमुश्त रूपये 1,000/-	योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को भरण पोषण हेतु एकमुश्त रूपये 1,000/- (रू0 एक हजार मात्र) की धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	(रू0 एक हजार मात्र) की धनराशि वार्षिक/अर्द्धवार्षिक/ त्रैमासिक/ मासिक के रूप में, जैसा कि केन्द्र/राज्य सरकार अथवा बोर्ड द्वारा विहित किया जाये, आर्थिक सहायता के रूप में अद्यतनीकृत रूप से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को देय होगी। आर्थिक सहायता की यह धनराशि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खाते में सीधे आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त के माध्यम से सीधे अन्तरित की जायेगी।	वार्षिक/अर्द्धवार्षिक /त्रैमासिक/मासिक के रूप में अथवा जैसा कि केन्द्र/राज्य सरकार, उ0प्र0शासन या बोर्ड द्वारा विहित किया जाये, आर्थिक सहायता के रूप में अद्यतनीकृत रूप से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को देय होगी। आर्थिक सहायता की यह धनराशि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खाते में सीधे आर0टी0जी0एस0/पी0एफ0एस0एस0 के माध्यम से श्रमायुक्त स्तर से अथवा आधार बेस्ड भुगतान के माध्यम से बोर्ड, मुख्यालय स्तर से श्रमिकों को सीधे अन्तरित की जायेगी। पात्र श्रमिकों को हितलाभ भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से ही किया जायेगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
अपर मुख्य सचिव

संख्या-30/2021/2001896(1)/2021/श्रम-2, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

चिरौंजी लाल
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in